पत्र सं0-स्था-5(ग)-सामान्य विकलांगता सूचना पत्रावली /2024-25// 4439 //राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 16 12, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या-10/2022/18/1/2008/47/का-2-2022 दिनांक 04-08-2022 एवं शासन के पत्र संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0 दिनांक 30-07-2021 के अनुसार 4 प्रतिशत रिक्तियाँ विकलांगता से ग्रसित कार्मिकों के लिए आरक्षित रखी जाएँगी जिसमें से 01-01 प्रतिशत रिक्तियाँ (1) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि (2) बाधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास (3) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांस पेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता (4) स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्तता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक अस्वस्थता व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आशुलिपिक संवर्ग की वर्तमान प्रभावी ज्येष्ठता सूची में से उपरोक्त दिव्यांगता से ग्रसित यदि वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 अथवा आशुलिपिक के पद पर कोई कार्मिक आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत है तो उसकी सूचना 15 दिनों के अन्दर संलग्न निर्धारित प्रारुप पर विकलांगता प्रमाण पत्र की पठनीय एवं सत्यापित प्रति सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक:- निर्धारित प्रारुप।

Signed by
Sunil Kumar Verma
Date: 16-12-2024 11:33:54

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुकत आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उपरोक्त की एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
2. समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/ सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि उपरोक्त वांछित सूचना कृपया तत्काल उपरोक्तानुसार जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर को सीधे भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उनके स्तर से संकलित सूचना मुख्यालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित की जा सके।
3. पटल प्रभारी स्था0-6 (सामान्य) स्था0अरा0अनुभाग, राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आशुलिपिक संवर्ग के जिन कार्मिकों की नियुक्ति विकलांगता की आरक्षित श्रेणी में की गई है, से सम्बन्धित सूचना स्था0-5(ग) पटल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **संलग्नक:- निर्धारित प्रारुप।**

Signed by
Satyendra Kumar
Date: 16-12-2024 13:52:45

(सत्येन्द्र कुमार)
उपायुक्त (स्था0 अराज0) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

C:\Users\abc\Desktop\vinod chauhan.docx

प्रारूप

राज्य कर विभाग में आशुलिपिक संवर्ग में वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 एवं आशुलिपिक के पद पर कार्यरत (1) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि (2) बाधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास (3) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांस पेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (4) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता श्रेणी की विकलांगता से ग्रसित कार्मिकों की जोन स्तर की संकलित सूचना:-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम/ पिता का नाम	पद नाम/वेतन बैण्ड /ग्रेड-वेतन	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	विकलांगता की श्रेणी एवं प्रतिशत				सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र	सेवाभिलेखों में सत्यापित है अथवा नहीं
				दृष्टिहीनता और कम दृष्टि	बाधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांस पेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर-सक्षम प्राधिकारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जोन के अन्तर्गत आशुलिपिक संवर्ग में वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 एवं आशुलिपिक के पद पर कार्यरत उपरोक्त कार्मिकों के अतिरिक्त विकलांग श्रेणी के अन्य किसी कार्मिक के सम्बन्ध में सूचना भिजवाया जाना शेष नहीं है।

हस्ताक्षर-सक्षम प्राधिकारी

CS CamScanner